न्यायालय राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 4353–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–10–13 पारित द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 262/अपील/2011–12.

वराह इंफा स्टट्क्चर जोधपुर द्वारा मु0आ0
रानूसिंह पिता गुलाबसिंह
निवासी बसंत विहार कॉलोनी उज्जैन ——— अपीलांट

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ——— रिस्पोंडेंट

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे ।

:: आदेश ::
(आज दिनांक 09-अप्रैल 2015 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 261/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15–10–13 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मेमो में दिए गए आधारों को ही तर्क मानने का अनुरोध किया गया है तथा लिखित बहस भी पेश की गई है । लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–10–10 को अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमें विद्वान आयुक्त ने दिनांक 4–7–11 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय आदेश की पद संख्या 4 एवं 5 का पालन करते हुए अपीलांट को साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें किंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश का कोई पालन नहीं किया तथा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित

आदेश जिसे आयुक्त द्वारा निरस्त किया जा चुका था को उचित मानते हुए आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अनुविभागीय अधिकारी को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए था ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में त्र्ुटि की गई है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्ती योग्य हैं । इस संबंध में उनके द्वारा 2012 आर.एन. 54 का न्यायदृष्टांत उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्देशों के बाद कोई साक्ष्य नहीं ली ना ही कोई जांच कराई जबकि संहिता की धारा 247(7) में यह प्रावधान है कि सिद्ध भार शासन पर होता है, शासन को विधिवत साक्ष्य से अपना पक्ष सिद्ध करना चाहिए जो इस प्रकरण नहीं किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि रिस्पोंडेंट शासन की ओर से तर्क के समय खनिज अधिकारी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि प्रत्यावर्तन आदेश के पश्चात कोई जांच नहीं की गई एवं साक्ष्य नहीं दी गई । जब शासन की ओर से साक्ष्य ही नहीं दी गई है तो धारा 247 (7) संहिता का प्रकरण सिद्ध ही नहीं होता है ।

यह तर्क दिया गया कि अपीलांट को जो कारण बताओ सूचनापत्र दिया गया है वह विधिवत नहीं है । कारण बताओ सूचनापत्र में मूल्य का कोई आधार नहीं दिया गया है न ही सर्वे नं. का कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया तथा मिट्‌टी व मुरम के संबंध में अवैध उत्खनन का लेख किया गया है किंतु कितनी मात्रा में मिट्‌टी थी व कितनी मात्रा में मुरम था इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि खनिज निरीक्षक द्वारा न तो कभी मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण किया गया एवं न ही पंचों के समक्ष कोई नप्ती की है । खनिज निरीक्षक के कथन भी न्यायालय में नहीं हुए हैं ऐसी स्थिति में खनिज निरीक्षक द्वारा प्रकरण साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । अतः उनके द्वारा प्रस्तुत अवैधानिक प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । साक्ष्य विधान अनुसार खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है अगर दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं तो विधान अनुसार उनका साक्षिक मूल्य कुछ नही है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 तथा 1997 आर. एन. 174 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247(7) में यह प्रावधान है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण भार शासन है और शासन को शंका से परे प्रकरण

साक्ष्य से सिद्ध करना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में न तो अवैध उत्खनन करते हुए किसी ने देखा है न ही अवैध उत्खनन मौके पर जप्त किया है तथा न ही अवैध उत्खनन में लाई गई सामग्री जप्त की गई है तथा न ही गढ्ढे के नाप के संबंध में स्पष्ट उल्लेख है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । इस संबंध में उनके द्वारा 1996 आर.एन. 365 एवं 1994 आर.एन. 241 का संदर्भ दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247 (7) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि स्थल निरीक्षण अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में किया जाना चाहिए तथा अवैध उत्खनन का दिनांक उल्लिखित किया जाना चाहिए, अवैध उत्खनन की मात्रा का भी लेख किया जाना चाहिए तथा अवैध उत्खनन का मूल्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए । मौजूदा प्रकरण में इसमें किसी भी अनिवार्य प्रावधान का पालन खनिज निरीक्षक ने नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । इन तर्कों के समर्थन में उनके द्वारा 1976 आर. एन. 453 एवं 474 को संदर्भित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि खनिज निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया है कि खनिज कितनी सी.बी.आर. का था । मिट्‌टी कितने सी. बी.आर. की थी, कितनी मात्रा में मिट्‌टी थी, कितनी मात्रा में मुरम था ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है । कल्पना के आधार पर मूल्यांकन कर जो प्रतिवेदन खनिज निरीक्षक ने प्रस्तुत किया है वह विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं । बिना साक्ष्य के मात्र प्रतिवेदन के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है अतः अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किए हैं वह निरस्ती योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है इस प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से न तो खनिज निरीक्षक के कथन हुए हैं न ही तथाकथित पंचनामे के साक्षियों के कथन हुए हैं । तथाकथित पंचनामे के अनुसार मौके पर कोई अवैध उत्खनन करते हुए नहीं पाया गया, कार्य बंद था। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन में पंचनामे में प्रोकलेन मशीन व डम्फर जप्त कर सुपुदर्गी में देने का जो उल्लेख है वह स्पष्टतः अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने नैगेटिव बर्डन ऑफ प्रूफ अपीलांट पर डालकर आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने मुख्य परीक्षण आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश किए थे तथा समर्थन में दस्तावेज अनुज्ञप्ति पत्र आदेश प्रदर्शित किये थे । अपीलांट की अखंडनीय साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है । खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन का साक्षिक मूल्य कुछ नहीं

होता है जब तक कि खनिज निरीक्षक स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर कथन से उसे प्रमाणित न करे । खनिज निरीक्षक ने न्यायालय में उपस्थित होकर कोई कथन नहीं दिए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपने आदेश में खनिज निरीक्षक के तर्क का उल्लेख किया है । ऐसी स्थिति में खनिज निरीक्षक द्वारा दिए गए असत्य प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश और उसकी पुष्टि करने संबंधी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है । इस संबंध में उनके द्वारा 2005 आर.एन. 107, 1990 आर.एन. 178 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपीलांट द्वारा जो उत्खनन किया है वह उसे स्वीकृत सर्वे नंबरों में से किया गया है शासन पक्ष द्वारा दुर्भावनापूर्वक सारी असत्य एवं अवैधानिक कार्यवाही की गई थी शासन पक्ष को यह ज्ञात था कि इस अवैधानिक कार्यवाही में जिन व्यक्तियों के पंचनामे पर हस्ताक्षर व कथन हैं वह सही नहीं है इस कारण शासन पक्ष ने न तो पंचनामा साक्षी एवं न ही प्रतिवेदन के साक्षियों का परीक्षण न्यायालय में करवाया है जब तक न्यायालय में साक्ष्य का परीक्षण व प्रतिपरीक्षण नहीं हो जाता तब तक प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार ही नहीं हो सकता है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि अपीलांट द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना जबाव एवं साक्ष्य के मुख्य परीक्षण प्रस्तुत किए हैं, खनिज विभाग द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति दस्तावेज भी पेश किए है तथा उनको प्रदर्शित किया है किंतु उन पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नहीं किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी का यह कहना कि अपीलांट ने साक्ष्य के रूप में के.के. सिंह के कथन भी करवाए हैं तथा यह उल्लेख किया है कि अपीलांट के पास अपने बचाव में कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं हैं । यह सारी बातें रिकार्ड के विपरीत हैं क्योंकि जब शासन पक्ष ने ही साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना पक्ष सिद्ध नहीं किया है, उसके बाद भी अपीलांट ने अपने कथन दिए हैं तथा साक्षियों को तलब करने का आवेदन दिया जो निरस्त हुआ है व अपीलांट की अखंडनीय साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विचार नहीं किया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत कारण बताओ सूचनापत्र नहीं दिया है तथा कारण बताओ सूचनापत्र में विधान अनुसार अवैध उत्खनन का दिनांक, उसका तथ्यात्मक बाजारू मूल्य, अवैध उत्खनन में लाई गई वस्तु तथा अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में सीमांकन अनिवार्य है । विचारण न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र में न तो अवैध उत्खनन का दिनांक लिखा है न ही अवैध उत्खनन का तथ्यात्मक मूल्य लिख है । इस प्रकार अनिवार्य प्रावधान का

कोई पालन नहीं हुआ है । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य हैं । विचारण न्यायालय ने अपीलांट को जांच प्रतिवेदन की प्रति भी नहीं दी है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य हैं । अपने तर्क के समर्थन में अपीलांट अधिवक्ता द्वारा 1976 आर.एन. 453 एवं 1985 आर.एन. 119 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है खनिज निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन के साथ न तो कोई पंचनामा प्रस्तुत किया है न ही साक्षियों के कथन प्रस्तुत किए हैं किन व्यक्ति के सामने स्थल निरीक्षण किया गया है इसका भी कोई उल्लेख नहीं है तथा सीमांकन के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में जांच दल के बारे में उल्लेख किया है जबकि जांच दल की कोई रिर्पोट प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है और ना ही जांच दल के किसी व्यक्ति का कोई कथन हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय का पश्चातवर्ती सोच है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दुर्भावनापूर्वक असत्य आधार लेकर अपीलांट के विरूद्ध आदेश पारित किए हैं जो निरस्ती योग्य हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन के बाद जांच करवाना चाहिए जबकि मौजूदा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है तथा बिना जांच के आदेश पारित कर दिया है जो प्राथमिक दृष्टि में ही विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य हैं । इस संबंध में उनके द्वारा 1981 आर.एन. 449 को उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247 (7) के अंतर्गत वादग्रस्त स्थान का सीमांकन आवश्यक है तथा सीमांकन उत्खननकर्ता की उपस्थिति में होना चाहिए मौजूदा प्रकरण में कोई सीमांकन नहीं हुआ है । शासकीय कार्य में किया गया उत्खनन वैसे भी अवैध उत्खनन नहीं होता है तथा उस पर धारा 247 (7) के अंतर्गत अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है । इस वैधानिक प्रश्न पर भी अनुविभागीय अधिकारी ने कोई विचार नहीं किया है इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1968 आन.एन. 261, 1988 आर.एन. 64, 1981 एम.पी.डब्लू.एन. II नोट 247 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा उक्त तर्कों को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत लिखित बहस में उठाया गया था, किंतु उन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और अवैधानिक तरीके से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने तथा अपीलांट के विरूद्ध प्रारंभ किये गये उत्खनन के प्रकरण को समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ रिस्पोंडेंट शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित है । अवैध उत्खनन पाए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलांट पर अर्थदंड आरोपित किया गया है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने की है । प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष तथ्यों पर समवर्ती हैं । अतः उनके द्वारा अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया गया । अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अपने आदेश में तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–10–10 को पारित आदेश (जिसे आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 4–7–11 द्वारा त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त किया जा चुका था) में निकाले गये निष्कर्षों को ही आधार बनाया गया है । आयुक्त ने आदेश दिनांक 4–7–11 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–10–10 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि वे उनके आदेश के पैरा 4 एवं 5 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें साथ ही अपीलांट को अपने पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देकर प्रकरण में यथोचित आदेश पारित करें । अपने आदेश के पैरा 4 एवं 5 में आयुक्त ने अन्य बिंदुओं के साथ न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 64 का उल्लेख करते हुए यह पाया था कि शासकीय उद्धेश्य की पूर्ति हेतु उत्खनन कार्य किया गया उत्खनन सद्भाव पूर्व उद्धेश्य के अंतर्गत किए जाने से नियमों का उल्लंघन मानकर शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है और उन्होंने शासन द्वारा कराए जा रहे इंदौर–उज्जैन फोरलाईन कार्य को अपीलांट द्वारा समयसीमा में कार्य पूरा किये जाने के कारण उत्खनन सद्भाविक मानते हुए यह पाया कि अपीलांट की मानसिकता अपराधिक नहीं मानी जा सकती । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को यह भी देखना था कि अपीलांट को जिन–जिन ग्रामों में उत्खनन की अनुमति दी गई थी, उन ग्रामों के खसरे/नक्शे आदि रिकार्ड का विधिवत आंकलन किया जाना चाहिए था किंतु इस ओर भी अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश पारित करते समय ध्यान नहीं दिया गया है और आयुक्त द्वारा आदेश के पैरा 4 एवं 5 में की गई विवेचना को पूरी तरह अनदेखा करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 25–10–10 द्वारा आरोपित शास्ति को विधिसम्मत मानते हुए (जिसे आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 04–7–11 द्वारा निरस्त किया जा चुका

है) आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसे अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में न्यायिक त्रुटि की गई है ।

6/ अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि जिस खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है उसके द्वारा प्रतिवेदन को साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया जाता तब तक उस प्रतिवेदन के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण में खनिज निरीक्षक द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं दी है तथा न ही साक्ष्य से अपना प्रतिवेदन व दस्तावेज प्रमाणित किये हैं । अतः इस प्रकरण में खनिज निरीक्षक का जो प्रतिवेदन है उसका विधान में साक्षिक मूल्य कुछ नहीं है है । न्यायदृष्टांत 1990 आर.एन. 162 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि — धारा 247 — खदान निरीक्षक का प्रतिवेदन एक शिकायत है और उसका कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है — ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिया जाना विधि विरूद्ध है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 312 में यह व्यवस्था दी गई है कि — धारा 247 (7) गिट्टी या पत्थर का अवैध उत्खनन कार्य किया जाना साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया । शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती ।

7/ आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नं. के किस भाग में उत्खनन किया गया है इसका उल्लेख खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन में नहीं है और ना ही कारण बताओ सूचनापत्र में इसका उल्लेख है । जबकि कारण बताओ सूचनापत्र में समस्त विवरण दिया जाना आवश्यक है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1980 आर.एन. 293 अवलोकनीय हैं जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 247 (7) कारण बताओ सूचनापत्र दिया जाना अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत उत्खनन किए गए खनिज पदार्थ का मूल्यांकन और मात्रा दी जाना आवश्यक उक्त विवरण न दिये जाने से सूचना पत्र विधि अनुसार नहीं माना गया इसी प्रकार की व्यवस्था न्यायदृष्टांत 1979 आर.एन. 90 में दी गई है ।

8/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि तथाकथित पंचनामे में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं उनमें से किसी को भी बतौर गवाह नहीं बुलाया गया है और ना ही उनके कथन लिए गए हैं तथा बिना उत्खनन प्रमाणित किए शास्ति आरोपित की गई है जो विधिसम्मत नहीं है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा कारण बताओ सूचनापत्र के जबाव में दिए गए वैधानिक बिंदुओं पर भी कोई विचार नहीं किया गया है और ना ही अपीलांट की ओर से प्रस्तुत मुख्य परीक्षण आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत शपथपत्र का कोई खंडन विभाग द्वारा किया गया है । अभिलेख में जो तथाकथित पंचनामा है उसमें मौके पर कोई अवैध उत्खनन करते हुए नहीं पाए जाने की बात कही गई है ।

9/ अभिलेख से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा उत्खनित बताई जा रही भूमि का मौके पर जाकर सीमांकन किया गया हो क्योंकि अभिलेख में कोई सीमांकन रिपोर्ट नहीं है । संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत जांच अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में किया जाना अनिवार्य है जो इस प्रकरण में नहीं है । इससे आवेदक के इस तर्क को बल मिलता है कि खनिज निरीक्षक ने मौका देखा ही नहीं है और मनमाने तरीके से असत्य रिपोर्ट पेश की गई है । जांच दल का भी कोई पंचनामा अभिलेख में नहीं है । उत्खनन के प्रकरणों में सबूत का भार शासन पर होता है कि वह सिद्ध करे कि अवैध उत्खनन हुआ है और यदि अवैध उत्खनन सिद्ध नहीं किया गया तो आवेदक पर अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित नहीं की जा सकती है । इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन. 107 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 247 (7) — सबूत का भार सरकार पर — खनन निरीक्षक की साधारण रिपोर्ट — उसकी परीक्षा किए जाने और प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए जाने के अभाव में पर्याप्त नहीं — साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए । न्यायदृष्टांत 1976 आर.एन. 453 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 237 (7) अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में समुचित प्रमाण दिया जाना आवश्यक है और प्रमाण भार राज्य पर है । उसके द्वारा ही सिद्ध किया जाना होता है कि खनिज संपदा का अनुचित दोहन अथवा अवैध उत्खनन किया गया है । न्यायदृष्टांत 97 आर. एन. 174 में यह व्यवथा दी गई है कि धारा — 247(7) खानों से अवैध उत्खनन का मामला — सरकार द्वारा पूर्णतः साबित किया जाना होता है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 89 आर.एन. 579 में भी यह न्यायिक व्यवस्था दी गई है कि धारा 247— के तहत खनिज निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर जांच की जाती है तो उसे साबित करने का भार शासन पर होता है । न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 247 — खनिज अवैध रूप से निकालना — उपबंध दांडिक प्रकृति का है युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए — मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं लगाया जा सकता । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं ।

10/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा इस तथ्य को भी अनदेखा किया गया है कि अपीलांट द्वारा उत्खनन का कार्य शासकीय उद्धेश्य की पूर्ति हेतु किया गया है जबकि आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 4—7—11 में इस बिंदु को भी ध्यान में रखकर आदेश पारित करने के निर्देश

अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए थे । न्यायदृष्टांत 1988 आर.एन. 64 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 धारा 247 (7) — शक्ति शासकीय उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु सद्भावपूर्ण उत्खनन आपराधिक मनस्थिति नहीं — उद्धेश्य नियमों का उल्लंघन करना नहीं —शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती । जहां तक अपीलांट की ओर से उद्धरित अन्य न्यायदृष्टांतों का प्रश्न है, उनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि वे न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होते हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात एवं अपीलांट द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह साक्ष्य पर आधारित न होने तथा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उनके अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में न्यायिक त्रुटि की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश भी निरस्ती योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15—10—13 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—7—12 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाते हैं ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर